भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3238
12.07.2019 को उत्तर के लिए

नदियों में प्रदूषण

3238. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश में 350 से अधिक नदियों के खंडों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार और लागू करने हेतु एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय निगरानी समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अधिकरण ने उत्कृष्ट व्यक्तियों (नैसर्गिक और न्यायिक) और संस्थाओं अथवा राज्यों को पर्यावरणीय पुरस्कार देने और इनका अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों के लिए ''हतोत्साहन'' शुरू करने के लिए किसी नीति पर विचार करने हेतु मंत्रालय को भी निदेश दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या केन्द्रीय निगरानी समिति ने जल एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) देश में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च) जी हां। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वर्ष 2018 के ओ.ए.सं. 673 में दिनांक 08.04.2019 के अपने आदेश द्वारा एक "केन्द्रीय निगरानी समिति'' (सीएमसी) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य नदियों के प्रवाह क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार करके और उसे कार्यान्वित करके एक राष्ट्रीय पहल की शुरूआत करना है। सीएमसी में नीति आयोग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों, महानिदेशक,राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। अध्यक्ष, सीपीसीबी समन्वय के लिए नोडल प्राधिकारी हैं। माननीय अधिकरण ने मंत्रालय को यह भी निदेश दिया है कि वह अति विशिष्ठ व्यक्तियों (प्राकृतिक और न्यायिक ज्ञान के क्षेत्रों के विशेषज्ञों) और संस्थानों/राज्यों को पर्यावरणीय पुरस्कार प्रदान

करने तथा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन न करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन बंद कर देने की नीति पर विचार करे।

सीएमसी ने दिनांक 11.06.2019 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, माननीय अधिकरण के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई पर विचार किया। सीएमसी ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा तैयार की गई 'नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय योजना' को सीएमसी के सभी सदस्यों को परिचालित करने का भी निर्णय लिया है, इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों/नीति आयोग/एनएमसीजी से संदर्भित तत्संबंधी विषय-वस्तुओं पर उनका सुझाव/राय प्राप्त करना है।

सरकार द्वारा नदियों में प्रदूषण सहित जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:- उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों के मानक तैयार करना और उन्हें अधिसूचित करना; उनका प्रचालन या प्रक्रियाएं निर्धारित करना; आपसी सहमति और नियमित निगरानी के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा इन मानकों को लागू किया जाना; जल की गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी नेटवर्क स्थापित करना; बहिस्राव को सीधे जल निकायों में बहाने पर नियंत्रण के लिए ऑन-लाईन सतत बहिस्राव निगरानी तंत्रों (ओसीईएमएस) की स्थापना करना; लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की संस्थापना करना; 'नदियों के जल की गुणवत्ता की बहाली के लिए मलजल का शोधन और उपयोग' के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत 46 महानगरों और 20 राज्यों की राजधानियों के नगर निगमों को निदेश जारी करना आदि।

****